(1) निगरानी/टी.ए./2074/2018/बूंदी केसरीलाल बनाम लक्ष्मीनारायण

(2) निगरानी/टी.ए./3482/2005/बूंदी मूर्ति रघुनाथ जी बनाम लक्ष्मीनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य** उपस्थित– श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभि0 अप्रार्थी दिनांक : 16.10.2020 **निर्णय** उपरोक्त दोनों निगरानियां राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 247/03 एवं 248/03 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। उक्त दोनों निगरानियों की विषय–वस्तु एवं निर्णायक बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे संलग्न की जावे। सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते तर्क फरमाने नाम, दोनों पक्षों की सहमति से स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी संख्या 4 प्रभु बाई पत्नी कन्हैयालाल का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी ने एक दावा सहायक कलक्टर, के0पाटन के न्यायालय में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 412 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, 101 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 487 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, 283 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा, 182 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा वाके	WR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील के0पाटन में स्थित है जो उन्हें कन्हैयालाल पुत्र रामरतन की मृत्यु पश्चात उनके वारिसान को प्राप्त हुई है तथा खसरा नंबर 283 की 16 बीघा 3 बिस्वा पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा कर लिया है अतः प्रार्थी को उक्त भूमि से बागुजाश्त करा कर उन्हें कब्जा दिलाया जावे तथा प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। उक्त अप्रार्थीगण का वाद परीक्षण न्यायालय ने 110/92 पर दर्ज किया। उक्त वाद का प्रार्थी ने प्रतिवाद पेश किया तथा निवेदन किया कि सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त विवादित भूमि मंदिर रघुनाथ जी की थी। अप्रार्थी/वादी ने सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि पर अपना नाम अंकित करा लिया जो गलत है। इसलिए वादीगण मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। यह अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद दिनांक 20–5–2000 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 11–6–2002 को वाद को नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 5–11–2003 को खारिज कर दिया गया। साथ ही प्रार्थी मूर्ति मंदिर द्वारा भी परीक्षण न्यायालय में एक वाद अधिकार घोषणा एवं बेदखली का खसरा नंबर 101 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 487 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा, 583 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 35 बीघा 1 बिस्वा बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया गया था जो मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी बनाम लक्ष्मीनारायण के नाम से दर्ज हुआ तथा परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–9–98 को दोनों दावों को कंसोलिडेट करने के आदेश प्रदान कर दोनों दावों की सुनवाई एक साथ किए जाने की आज्ञा पारित कर दी। इस कारण दोनों दावों का परीक्षण एक साथ चल रहा था। यह कि अप्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र (संख्या 86/02) प्रस्तुत कर वाद को नम्बर पर लिए जाने व प्रार्थी मूर्ति मंदिर के वाद में आर्डर 9 रूल 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र (संख्या 80/02) प्रस्तुत किया, जो दोनों प्रार्थना पत्र दिनांक 5–11–2003 को खारिज कर दिये गये। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 86/02 एवं 80/02 में पारित आदेश दिनांक 5–11–2003 के विरूद्ध अप्रार्थी ने राजस्व	

(1) निगरानी/टी.ए./2074/2018/बूंदी केसरीलाल बनाम लक्ष्मीनारायण

(2) निगरानी/टी.ए./3482/2005/बूंदी मूर्ति रघुनाथ जी बनाम लक्ष्मीनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील क्रमशः संख्या 247/03 एवं 248/03 पेश की, जिन्हें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे में पेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत नियुक्त किए गए रिसीवर आदेश को रेस्टोर कर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 247/03 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के विरूद्ध प्रार्थी केसरीलाल ने निगरानी संख्या 2074/2018 तथा अपील संख्या 248/03 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के विरूद्ध प्रार्थी मूर्ति रघुनाथ जी ने निगरानी संख्या 3482/05 पेश की है। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन है कि अप्रार्थी का दावा दिनांक 20–5–2001 को खारिज हो गया तथा प्रार्थी का दावा डिक्री कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा दावे को पुनः नंबर पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 5–11–2003 को खारिज हो गया। इस प्रकार धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश की भी कोई विधिक मान्यता नहीं रही तथा केवल दावे को ही नम्बर लिये जाने हेतु कार्यवाही की गई, जो खारिज हो गई परन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण को वापिस नम्बर पर लिए जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समाहित करते हुए विवादित भूमि पर दिनांक 18–9–98 को नियुक्त रिसीवर के आदेश को बहाल करते हुए भूमि पर रिसीवर नियुक्ति के आदेश देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में केवल यही देखना था कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एकतरफा कार्यवाही निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अथवा नहीं परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा दावे में प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिए गए आदेश को रेस्टोर करते हुए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने में भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ अपीलीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अंत में उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मद्धेनजर निगरानी पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करते हुए निगरानी को अन्दर मियाद शुमार किये जाने एवं निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं केवलमात्र दिनांक 20–5–2000 को अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मूर्ति मंदिर का दावा दिनांक 26–4–2001 को डिक्री कर दिया और अप्रार्थी का दावा खारिज कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 5–11–2003 द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 द्वारा अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 5–11–2003 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने उक्त दोनों प्रकरणों में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानियां सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने आरबीजे (8) 2001 पेज 45 का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर उक्त दोनों निगरानियों को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 86/02 एवं 80/02 में पारित आदेश दिनांक 5–11–2003 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील क्रमशः संख्या 247/03 एवं 248/03 प्रस्तुत की गई, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–11–03 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये हैं। साथ ही विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर ताफैसला दावा रिसीवर को कब्जा काश्त बनाये रखने का आदेश दिया है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में केवल यही देखना था कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एकतरफा कार्यवाही निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अथवा नहीं, परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा दावे में प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिए गए आदेश को रेस्टोर करते हुए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। इस संबंध में पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 के अवलोकन से यह मुख्य रूप से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अप्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 110/92 को रेस्टोर करने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 86/02 एवं वाद संख्या 44/97 में पारित एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–4–2001 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 80/02 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13सीपीसी प्रस्तुत किये थे जिन्हें परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक5–11–2003 द्वारा खारिज कर दिये, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों की औचित्यता बाबत ही निर्णय पारित करना था कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, वे उचित हैं अथवा नहीं? किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एवं आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेशों की औचित्यता बाबत कोई विवेचन ही नहीं किया अपितु अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि पर तहसीलदार इन्द्रगढ को ताफैसला दावा रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतया अविधिक, मनमाना एवं क्षेत्राधिकारविहीन होने से किसी भी प्रकार से समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित निर्णय दिनांक 2–4–2005 को निरस्त कर सारगर्भित एवं पूर्ण विवेचनयुक्त निर्णय पारित करने हेतु उक्त दोनों प्रकरणों को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना हम न्यायोचित समझते हैं। हमने अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया। हमारे विनम्र मत में उक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती हैं तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 247/2003 एवं अपील संख्या 248/2003 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–2005 निरस्त किया जाता है तथा उक्त दोनों प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित किये जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	